<u>भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 6/11/2026- डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

<u>जांच शुरुआत अधिसूचना</u>

मामला सं. एडी (ओआई) -10/2026

दिनांक : 19 **मार्च**, 2026

विषय: <u>सिंगापुर गणराज्य, कोरिया गणराज्य, ताइवान और थाईलैंड साम्राज्य से 'एसीटोन' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत</u>

1. **फा. सं. 6/11/2026-डीजीटीआर:** समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रुप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" या "एडी नियमावली" के रुप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, दीपक फिनोलिक्स लिमिटेड (डीपीएल) और हिंदुस्तान ऑर्गेनिक कैमिकल लिमिटेड (एचओसीएल) (जिन्हें इसके बाद "आवेदकों" के रुप में कहा गया है) ने निदिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" के रुप में कहा गया है) के समक्ष सिंगापुर गणराज्य, कोरिया गणराज्य, ताइवान और थाईलैंड साम्राज्य (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध देशों" के रुप में कहा गया है) से "एसीटोन" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए एक आवेदन दायर किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)</u>

2. आवेदन में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद "एसीटोन" है। इसे डाइमिथाइल कीटोन के नाम से भी जाना जाता है।

3. यह उत्पाद एक मूल कार्बनिक रसायन है, जिसका उत्पादन केवल एक ही ग्रेड में किया जाता है। यह एक रंगहीन तरल पदार्थ है, जिसमें ईथर जैसी उपयुक्त गंध होती है। इसका उपयोग अनेक कार्बनिक संश्लेषण प्रक्रियाओं में विलायक अथवा मध्यवर्ती के रूप में किया जाता है।

4. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत उप-शीर्ष 2914 के तहत वर्गीकृत किया गया है। विचाराधीन उत्पाद का आयात 29141100 के अंतर्गत किया जाता है। यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में बाध्यकारी नहीं है।

5. इस जांच से संबंधित हितबद्ध पक्षकार, यदि कोई हों, तो वे इस जांच की शुरुआत होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर पीयूसी/ पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

6. विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की निर्धारित इकाई मीट्रिक टन (एम.टी.) अथवा किलोग्राम (के.जी.) है।

ख. <u>समान वस्तु</u>

7. आवेदक ने यह दावा किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदकों द्वारा उत्पादित और संबंधित देशों से आयात की गई वस्तुएं, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया और तकनीक, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन, तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक-दूसरे का स्थान ले सकती हैं। उपभोक्ता इन दोनों का उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं। आवेदकों द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु हैं।

ग. <u>संबद्ध देश</u>

8. यह वर्तमान जांच, सिंगापुर गणराज्य, कोरिया गणराज्य, ताइवान और थाईलैंड साम्राज्य से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के संबंध में है।

घ. <u>जांच की अवधि</u>

9. आवेदकों ने दिनांक 1 जनवरी 2025 से 30 सितंबर 2025 (9 माह की अवधि) के बीच की अवधि को जांच की अवधि के रूप में प्रस्तावित किया है। तथापि, प्राधिकारी ने जांच की अवधि दिनांक 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक मानी है, जो कि 12 माह की अवधि है। क्षति अवधि में वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 और जांच की अवधि शामिल हैं।

ड. <u>घरेलू उद्योग और स्थिति</u>

10. यह आवेदन दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड (डीपीएल) और हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों के अलावा, आईओएन ग्रुप विचाराधीन उत्पाद का एक और उत्पादक है, लेकिन यह बताया गया है कि इस उत्पादक ने क्षति अवधि के दौरान उत्पादन नहीं किया है।

11. प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि डीपीएल ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद को कम मात्रा में आयात किया है। डीपीसीएल द्वारा की गई आयात की मात्रा नगण्य है, जो कुल आयात का 1% से भी कम और आवेदक के कुल उत्पादन का 1% से भी कम है।

12. आवेदकों ने यह बताया है कि उनका न तो संबद्ध देशों में किसी निर्यातक से कोई संबंध है और न ही भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंध है।

13. इसे देखते हुए, और रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग का हिस्सा बनते हैं। यह आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

च. <u>कथित पाटन का आधार</u>

क. <u>सामान्य मूल्य</u>

14. आवेदकों ने संबद्ध देशों के घरेलू बाज़ार में प्रचलित कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। आवेदकों ने आईसीआईएस बुलेटिन पर आधारित जानकारी दी है। आवेदकों ने यह प्रस्ताव दिया है कि सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान और थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य इन कीमतों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाए। चूंकि आईसीआईएस कीमतें सीएफआर कीमतें हैं, इसलिए कारखाना बाह्य कीमतें निर्धारित करने के लिए सीएफआर कीमतों में आवश्यक समायोजन किए गए हैं।

15. जांच की शुरुआत के उद्देश्य से, सामान्य मूल्य आवेदकों द्वारा प्रस्तावित पद्धति के आधार पर निर्धारित किया गया है।

ख. <u>निर्यात कीमत</u>

16. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत को डीजी सिस्टम्स डेटा में सूचित की गई विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है। इसमें समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, हैंडलिंग शुल्क, बंदरगाह हैंडलिंग शुल्क, कमीशन, क्रेडिट लागत के लिए समायोजन किए गए हैं।

ग. <u>पाटन मार्जिन</u>

17. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना 'कारखाना बाह्य' स्तर पर की गई है, जिससे *प्रथम दृष्टया* यह पता चलता है कि पाटन मार्जिन 'न्यूनतम' स्तर से ऊपर है और संबद्ध देशों से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद के संबंध में यह काफी महत्वपूर्ण है। अतः, *प्रथम दृष्टया* यह साक्ष्य मौजूद है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा, संबद्ध देशों से आने वाले विचाराधीन उत्पाद का भारतीय बाज़ार में पाटन किया जा रहा है।

छ. **क्षति और कारणात्मक संबंध**

18. आवेदकों ने पाटित किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा में पूर्ण और सापेक्ष, दोनों ही संदर्भ में वृद्धि हुई है। आयातों के चलते कीमतों में गिरावट आने के साक्ष्य उपलब्ध हैं। संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आवेदकों के लाभ में भारी गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप जांच की अवधि के दौरान उन्हें हानि उठानी पड़ी है।

19. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी ने *प्रथम दृष्टया* यह पाया है कि सिंगापुर गणराज्य, कोरिया गणराज्य, ताइवान और थाईलैंड साम्राज्य के मूल की अथवा वहां से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं का पाटन हुआ है; घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची है; और कथित पाटन तथा क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध मौजूद है। ये तथ्य नियमावली के नियम 5 के अनुसार एक पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने को उचित ठहराते हैं, ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके, और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाता है, तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

ज. **जांच की शुरुआत**

20. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत रूप से समर्थित आवेदन के आधार पर, और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्ट्या साक्ष्यों के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद, जो कि पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पुष्टि करते हैं, प्राधिकारी एतदद्वारा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, कथित पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं। इस जांच का उद्देश्य कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी सीमा और उसके प्रभाव को निर्धारित करना है तथा पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करना है, जिसे यदि लगाया जाता है, तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

झ. प्रक्रिया

21. इस जांच में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना की प्रस्तुति

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए जाने वाले सभी पत्राचार और अनुरोध सेतु पोर्टल पर उनके पंजीकृत नाम और संबद्ध मामले: **एडी/ओआई/011/2026** के अंतर्गत अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग सर्च करने योग्य पीडीएफ/ एमएस-वर्ड प्रारूप में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सल प्रारूप में हों।

23. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, संबद्ध देशों की सरकारों को भारत स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से, तथा भारत में उन आयातकों और उपयोगकर्ताओं को, जिनका विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध होना ज्ञात है, अलग से सूचित किया जा रहा है; ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर सभी संगत जानकारी प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त जानकारी उसी प्रारूप और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए, जैसा कि इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिसों में निर्धारित किया गया है।

24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी, इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिसों में निर्धारित प्रारूप और तरीके से, तथा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर, वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी अनुरोध दे सकता है।

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति देने वाले किसी भी पक्षकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह उसी प्रस्तुति का एक अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए।

26. हितबद्ध पक्षकारों को आगे यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जांच से संबंधित किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए, व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक

वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से नज़र रखें। हितबद्ध पक्षकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में होने वाले आगामी घटनाक्रमों से अवगत रहने के लिए, तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा/ बैठक की समय अनुसूची, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी ही अन्य जानकारियों के संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले नोटिसों की जानकारी प्राप्त करने हेतु, डीजीटीआर की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) पर नियमित रूप से नजर रखें।

ट. <u>समय सीमा</u>

27. इस मौजूदा जांच से संबंधित कोई भी जानकारी सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर उनके पंजीकृत नाम और संबंधित मामले: **एडी/ओआई/011/2026** के तहत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोध के दोनों पाठ, गोपनीय पाठ (सीवी) और अगोपनीय पाठ (एनसीवी) को संबंधित निर्धारित कॉलम में, उस तारीख से 37 दिनों के भीतर अपलोड किया जाना चाहिए, जिस तारीख को घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का अगोपनीय पाठ प्राधिकारी द्वारा प्रसारित किया जाएगा या पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को भेजा जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के संबंध में सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर, केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करें।

29. पीयूसी/ पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां दाखिल करने के लिए 15 दिनों की अवधि, इस जांच शुरुआत अधिसूचना के उपरोक्त पैरा 27 में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

30. पीयूसी/ पीसीएन में संशोधन के कारण समय विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद की किसी सूचना के माध्यम से, पीयूसी और पीसीएन में संशोधन करते हैं जो पहले प्रस्तावित नहीं था या जांच शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो 15 दिनों का समय विस्तार प्रदान किया जाएगा। यह 15 दिनों का समय विस्तार, संशोधित पीयूसी और पीसीएन की ऐसी अधिसूचना की तारीख से प्रदान किया जाएगा। इस पैरा में उल्लेख किया गया 15 दिनों का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होता है, जहां जांच शुरू होने के बाद पीयूसी और पीसीएन कार्यप्रणाली में कोई बदलाव नहीं होता है। इस 15 दिनों के समय विस्तार (यदि प्रदान किया गया हो) के अलावा अधिक समय विस्तार के लिए अनुरोधों पर, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(4) के अनुरूप, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।

31. समय विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध, संबद्ध पक्षकारों द्वारा सेतु पोर्टल के माध्यम से, उपरोक्त पैरा 27 में निर्दिष्ट मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति</u>

32. जहां इस जांच में कोई भी पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतियां करता है या गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करता है, तो उस पक्षकार को पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रासंगिक व्यापार नोटिसों के अनुरूप, ऐसी जानकारी का एक अगोपनीय पाठ भी साथ ही प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन न किए जाने पर उत्तरों/ अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है।

33. जो पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (जिसमें उसके साथ संलग्न परिशिष्ट/ अनुलग्नक भी शामिल हैं) करते हैं, जिसमें प्रश्नावली के उत्तर भी शामिल हैं, तो उन्हें गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग प्रस्तुत करना आवश्यक है।

34. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" के रुप में अंकित होना चाहिए। प्राधिकारी को किया गया कोई भी अनुरोध जिस पर ऐसा अंकन नहीं है, उसे प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" जानकारी माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

35. गोपनीय पाठ में वह समस्त जानकारी शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की है, और/ अथवा ऐसी अन्य जानकारी शामिल होगी, जिसके लिए ऐसी जानकारी का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। जिस जानकारी के बारे में गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया जाता है, या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, उस जानकारी के प्रदाता को दी गई जानकारी के साथ एक उचित कारण विवरण भी देना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

36. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई जानकारी का अगोपनीय पाठ, गोपनीय पाठ की ही एक प्रतिकृति होनी चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को अधिमानतः अनुक्रमित किया गया हो या हटा दिया गया हो (जहां अनुक्रमण संभव न हो), और ऐसी जानकारी को, जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है, उचित और पर्याप्त रूप से सारांशित किया जाना चाहिए।

37. अगोपनीय सारांश इतना विस्तृत होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर दी गई जानकारी के मूल तत्व की उचित समझ बन सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश बनाना संभव नहीं है; ऐसे में, नियमावली, 1995 के नियम 8 के अनुसार और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिसों के अनुरूप, कारणों का एक विवरण जिसमें कि पर्याप्त और उचित स्पष्टीकरण हो कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

38. हितबद्ध पक्षकार, दस्तावेज़ों के अगोपनीय पाठ के वितरण की तारीख से 7 दिनों के भीतर, घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए दावों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

39. प्राधिकारी, प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच करने के बाद, गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित है, या यदि जानकारी प्रदान करने वाला पक्षकार या तो जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए अनिच्छुक है, अथवा उसे सामान्यीकृत या सारांश रूप में प्रकट करने के लिए अधिकृत नहीं करना चाहता है, तो प्राधिकारी ऐसी जानकारी की अनदेखी कर सकते है।

40. कोई भी ऐसा अनुरोध, जिसके साथ में उसका कोई सार्थक अगोपनीय पाठ संलग्न न हो, अथवा नियमावली के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयता के दावे के संबंध में कोई पर्याप्त और उचित कारण का विवरण प्रस्तुत न किया गया हो, उसे प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जाएगा।

41. प्राधिकारी, प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के उपरांत, ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना, उसे किसी भी अन्य पक्षकार के समक्ष प्रकट नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

42. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से सुलभ होंगे।

ढ. असहयोग

43. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है या पत्राचार के माध्यम से प्रदान की गई आगे की समय अवधि के भीतर जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा उत्पन्न करता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और साथ ही उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

अमिताभ कुमार

(अमिताभ कुमार)

निर्दिष्ट प्राधिकारी